न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 162/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/222

1. मनफूल सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 4 के.एस.एम बांडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. बनवारी लाल पुत्र उदमीराम जाति ब्राह्मण निवासी 4 के.एस.एम बांडा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः अभिभाषक अपीलांट्स सत्यपाल सहू एवं सुभाष सहू
अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2 विजय कुमारी पारीक

निर्णय

दिनांक 27.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 08.08.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपीलांट लालगढ़ छावनी का विस्थापित काश्तकार है। जिसे लालगढ़ छावनी में अवाप्तशुदा कृषि भूमि के बदले राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.5(डी)(3) उपनि/74/बी–1–3 दिनांक 02.01.1981 की पालना में लालगढ़ जाटान के विस्थपितों को विशेष आवंटन नियम 13(ए) के आधीन भूमि आवंटन/कीमत वसूली कर सीलिंग सीमा को ध्यान में रखते हुए एक मुरब्बा भूमि आवंटन के आदेश प्रदान किये। उक्त आदेश की पालना में अपीलांअ के नाम से मिं.नं. 3/1980 निर्णय दिनांक 03.12.1982 द्वारा चक 4 केएसएम मुरब्बा नंबर 290/392 किला नंबर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड का आवंटन आदेश जारी किया गया। जिसकी खातेदारी सनद् जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनां 17.05.1996 क्रमांक 075910 को जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11–14, राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट के नाम से आवंटित उक्त वादगत भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि का कब्जा वहक सरकार लिया जावें। अधीनस्थ न्यायाल अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 08.08.2025 द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 08.08.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय ने अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील बहस में कथन किया कि चक 4 केएसएम मुरब्बा नंबर 290/392 किला नंबर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर विस्थापित लालगढ़ छावनी, श्रीगंगानगर में अवाप्त भूमि के बदले राज्य सरकार के राज्यादेश क्रमांक एफ.5(डी)(3) उपनि/74/बी–1–3 दिनांक 02.01.1981 की पालना में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भूमि आवंटित की गई थी। उक्त वादगत भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13–ए के अन्तर्गत किया गया था जिसमें आवंटन अधिकारी द्वारा लालगढ़ जाटान छावनी में अवाप्त शुदा भूमि के बदले राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पालना में पुनर्वास हेतु आवंटन किया गया थां। उक्त कृषि भूमि पर श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.05.1996 को खातेदारी संनद जारी हो जाने के पश्चात अपीलांट कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त कृषक हो जाने के पश्चात अपीलांट कानून खातेदारी अधिकार प्राप्त कृषक हो जाने के कारण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के नियम 11–14 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अधिकार अधिनिरथ न्यायालय को नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित आदेश होने से काबिल खारिजी है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का सदभाविक कृषक होना जरूरी दर्ज किया है जो तत्समय लागू धारा 13(ए) मे नही था इस शर्त को दिनांक 17.01.2000 में जोड़ा गया था जो पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नही किया गया है एवं अपीलांट को आवंटन विशेष नियमों विस्थापितों के पुनर्स्थापन हेतु अलग से नियम बनाये जाकर सिलिंग सीमा तक पूर्व धारण की भूमि को जोडते हुए एक मुरब्बा यानि 25 बीघा भूमि आंवटन हेतु आदेश दिये गये थे। अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13(ए) में दर्ज (Sale by Special Allotment) की तत्समय प्रचलित नियम 13(ए) Notification No. F-4 (10)Rev/colo/75 दिनांक 27.02.1980 को जोड़ा गया था जिसमें 10 वर्षों से राजस्थान का निवासी होना आवश्यक था, सद्भावी कृषक होना नियमों मे दर्ज नहीं था। इसलिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कण्डक्टर के पद पर कार्यरत होना मानकर छावनी में विस्थापित को अवाप्ति के बदले आवंटित भूमि को निरस्त कर कानूनी भूल की है जो खिलाफ कानून होने काबिल खारिजी के है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.08.2025 अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर निरस्त फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1982 बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी. जून 2002 पेज सं 450 2. आर.आर.डी 1986 पेज सं. 172
3. आर.आर.डी 1969 पेज सं. 01
4. एकल पीठ राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आदेश दिनांक 23.05.25
5. Civil Appeal No. 10521 Of 2013 Date 01-10-2019

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दौराने बहस में कथन किया कि उक्त वादगत भूमि का विशेष आवंटन में आवंटन करवाने हेतु दिनांक 19.08.1980 को आवेदन पेश कर उक्त भूमि सहायक आयुक्त उपनिवेशन राज. नहर योजना घड़साना मुकाम अनूपगढ से जरिये मिसल नंबर 03/1980 विशेष आवंटन निर्णय दिनांक 03.12.1982 को विशेष आवंटन में आवंटित करवा ली। विशेष आवंटन मे रकबा आवंटन करवाने के लिए आवंटन नियम 13 ए विशेष आवंटन नियम के अनुसार ऐसी भूमि, ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी जो इन नियमों में दी गई प्राथमिकता के क्रम में ऐसे आवंटन के लिए पात्र बताया गया है उसमें अस्थाई काश्त पट्टाधारक के अलावा अन्य सभी क्रम में ऐसे आवंटन के लिए मात्र बताया गया है उसमें अस्थाई काश्त पट्टाधारक के अलावा अन्य सभी क्रम के व्यक्तियों का मुख्यतः भूमिहीन व्यक्ति भी होना जरूरी था इस अधिनियम में भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया हैं। अपीलांट ने विशेष आवंटन में उपरोक्त भूमि आवंटन में उपरोक्त भूमि आवंटन करवाते समय तथ्यो को छुंपाया है क्योकि उसके द्वारा भूमि का आवंटन करवाने के प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.08.1980 को आवेदन करने के रोज से पूर्व से ही अपीलांट राजस्थान राज्य पथ परिवहन में नौकरी करता था जबकि इस नियम के तहत आवंटन करवाने वाले व्यक्ति का सदभाविक कृषक होना जरूरी था। इस प्रकार अपीलांट आवेदन करने के समय सदभाविक होना जरूरी था इस प्रकार अपीलांट सदभाविक कृषक नही था तो वह भूमिहीन व्यक्ति नही हो सकता ऐसी

स्थिति में अपीलांट ने तहसीलदार अनूपगढ़ से भूमिहीन काश्तकार का गलत प्रमाण पत्र प्राप्त किया हैं। उपरोक्त आवंटन नियमों के अनुसार अपीलांट भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में नही आता जबकि इसके बावजूद अपीलांट ने अपने आपको नियम 2 के खण्ड 13 में परिभाषित भूमिहीन व्यक्ति बताया है तथा इसके बावजूद भी तहसीलदार से भूमिहीन व्यक्ति का गलत प्रमाण–पत्र तैयार करवाकर पेश किया है। इसके अलावा अपीलांट के पिता के पास प्रार्थना–पत्र में बताई गई भूमि के अलावा भी भूमि थी जिसे भी इसने प्रार्थना–पत्र में बताई गई भूमि के अलावा भी भूमि थी जिसे भी इसमें प्रार्थना–पत्र व उसके साथ पेश किये गए शपथपत्र में छिपाया है। पौगबांध विस्थापितों के लिए आरक्षित थी जिसका विशेष आवंटन में आवंटन ही नही किया जा सकता था ऐसी स्थिति अपीलांट का आवंटन रदद किया जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.08.2025 यथावत रखा जावे एवं अपीलांट की अपील को खारिज फरमावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं

1. आर.आर.डी. 2000 पेज संख्या 151
2. आर.आर.डी जनवरी 2002पेज सं.1
3. आर.आर.डी 14.10.09 पेज सं. 629
4. आर.आर.डी 1974 पेज सं. 61

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अपीलांट को चक 4 केएसएम मुरब्बा नंबर 290/392 किला नंबर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर विस्थापित लालगढ़ छावनी, श्रीगंगानगर में अवाप्त भूमि के बदले राज्य सरकार के राज्यादेश क्रमांक एफ.5(डी)(3) उपनि/74/बी–1–3 दिनांक 02.01.1981 की पालना में आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना में भूमि आवंटित की गई थी। उक्त वादगत भूमि का आवंटन राजस्थान उपनिवेशन (आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13–ए के अन्तर्गत किया गया था जिसमें आवंटन अधिकारी द्वारा लालगढ़ जाटान छावनी में अवाप्त शुदा भूमि के बदले राज्य सरकार के नोटिफिकेशन की पालना में पुनर्वास हेतु आवंटन किया गया थां। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़ द्वारा अपीलांट को धारा 13(क) के मुताबिक सद्भाविक कृषक नही मानते हुए अपीलांट की आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया। जो तत्समय लागू धारा 13(ए) मे सद्भाविक कृषक का होना आवश्यक नही था इस शर्त को दिनांक 17.01.2000 में जोड़ा गया था जो पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू नही किया गया था। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 08.08.2025 न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 08.08.2025 को निरस्त किया जाता है

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर